

(31)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB SEC. (i)

Appearing on Page No. : 137—166

Dated : 19-1-2002

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2001

सा. का. नि. 21. —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
स्वापक पदार्थ विभाग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहाँ तक उनका संबंध समूह 'ग'
समूह 'घ' पद से है, उन बातों के सिवाय अश्विकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने
में किया गया है, स्वापक पदार्थ विभाग में समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनिर्दिष्ट करने
के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक पदार्थ विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती
नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाध्व अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो
नियमों से उपाध्व अनुसूची के स्तंभ 3 से स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनके संबंधित
बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. विशेष उपबंध : इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड :—

(क) यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा वह
मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और उनके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, विनिर्दिष्ट
करे, स्वापक पदार्थ विभाग में किसी पद को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन उसी या
समतुल्य किन्तु अन्य विभाग या कार्यालय के काबू के पद धारण करने वाले व्यक्तियों के आमेनन द्वारा भरे
जाने का आदेश दे सकता है ;

(ख) यदि वह अनुसूची के आधार पर आवश्यक या समीचीन समझे, स्वापक पदार्थ विभाग में किसी पद को, जिसे
इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन
किसी अन्य विभाग या कार्यालय के उसी या समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के
आमेनन या प्रतिनिधित्व द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए भरे जाने का आदेश दे सकता है जैसी मामले
की वह परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट की जाए।

6. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रिश्वतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
निरीक्षक	177* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचितीय	5000-175-8000 रु.
योग्यता के आधार पर वयन या वयन-सह-ज्येष्ठता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्गों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं)	
5	6	7	
वयन-सह-ज्येष्ठता	18-27 वर्ष	नहीं	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अपेक्षा कोई हो	
8	9	10	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य अर्हता। टिप्पण : अभ्यर्थी अपेक्षित शारीरिक मानकों के अनुरूप और नीचे दया विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात् :—	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	
(क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए (i) शारीरिक स्तर (न्यूनतम) लम्बाई—157.5 से. मी. मीना—81 से. मी. (न्यूनतम 5 से. मी. पूरा फुलकर)	गड़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 से. मी. तक शिथिलनीय है।		

8

(ii) शारीरिक परीक्षा

चलना—15 मिनट में 1600 मीटर

साईकिल—30 मिनट में 8 किलोमीटर

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए—

(i) शारीरिक स्तर (न्यूनतम)

लम्बाई—152 से. मी.

वजन—48 किलोग्राम

(ii) शारीरिक परीक्षा

चलना—20 मिनट में 1 किलोमीटर

साईकिल चलाना—25 मिनट में 3 किलोमीटर

गढ़वाली, असमी, गोरखा और
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों
की दशा में 2.5 से. मी. की
ऊँचाई और 2 किलोग्राम का
वजन तक विधिलनीय है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधुक्ति/
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की
प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे
श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

(i) 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) 33.33 प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक श्रेणी III
प्रोन्नति द्वारा।

(iii) 33.33 प्रतिशत उप निरीक्षक की श्रेणी में प्रोन्नति द्वारा।

(1) प्रोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक (श्रेणी III)
जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की
है।

(2) ऐसे उप निरीक्षक जिन्होंने चयन-सह-ज्येष्ठता के
आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा
की है।

टिप्पण : अभ्यर्थी अपेक्षित शारीरिक मानकों के अनुरूप
हों और स्तंभ 8 के अधीन टिप्पण में दया निर्दिष्ट
शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और केन्द्रीय
उत्पाद शुल्क और सोमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय
पर अधिकथित ऐसी आयु सीमाएं पूर्ण करते हों।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करते में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होगा

1. स्थापक आयुक्त

—अध्यक्ष अपील

2. सहायक आयुक्त आयुक्त

—सदस्य

3. सभी तीन उप स्थापक आयुक्त

—सदस्य

टिप्पण : जहाँ उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति का न हो तब अनुसूचित जाति/अनु-
सूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के
श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के
सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

4. रासायनिक परीक्षक श्रेणी I

—सदस्य

1	2	3	4000-100-6000 रु.
उप निरीक्षक	165* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
5	6	7	
चयन-सह-उपेष्टता	18-27 वर्ष	नहीं	
8	9	10	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य ग्रहणता । टिप्पण : अभ्यर्थी अपेक्षित शारीरिक मानकों के अनुरूप और नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात् :—	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	
(क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए (1) शारीरिक स्तर (न्यूनतम) लम्बाई-157. 5 से.मी. सीना-81 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. पूरा फुलाकर) (2) शारीरिक परीक्षा चलना-15 मिनट में 1600 मीटर साईकिल-30 मिनट में 8 किलोमीटर	गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 से.मी. तक शिथिलनीय है ।		
(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए— (1) शारीरिक स्तर (न्यूनतम) लम्बाई-152 से.मी. वजन-48 किलो ग्राम (2) शारीरिक परीक्षा चलना-20 मिनट में 1 किलो मीटर साईकिल चलाना-25 मिनट में 3 किलो मीटर	गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 2. 5 से.मी. की ऊंचाई और 2 किलोग्राम तक शिथिलनीय है ।		

- 11
- (1) 25 प्रतिशत निम्न श्रेणी लिपिकों से प्रोन्नति द्वारा ।
 - (2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
 - (3) 25 प्रतिशत सिपाहियों में से प्रोन्नति द्वारा ।

- 12
- (1) प्रोन्नति : ऐसे सिपाही जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।
 - (2) ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ।

टिप्पण :

- (i) अभ्यर्थी जो अपेक्षित शारीरिक मानकों के अनुरूप जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं है और स्तंभ 8 के अधीन टिप्पण में यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए ।
- (ii) निम्न श्रेणी लिपिक में से जिनका चयन सेवा अभिलेख और साक्षात्कार के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा ।

टिप्पण :

अभ्यर्थी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा अधिकतम शारीरिक स्तर/परीक्षा में ठीक होना चाहिए ।

*विवरण स्तंभ 8 में देखा जा सकता है ।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
1. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक —ग्रन्थालय (जो भी ज्येष्ठ हो)	
2. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक —सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो)	
3. उप स्वापक आयुक्त (या) भारतीय अफीम और अल्कालायड वर्क्स उपक्रम महाप्रबंधक या सहायक स्वापक आयुक्त (मुख्यालय) —सदस्य (किसी के भी अधिकारिता के मामले विचार के लिए)	
टिप्पण :	
जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।	

1	2	3	4
उप कार्यालय अधीक्षक स्तर-I	6* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5000-175-8000 रु.
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	नहीं	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे उप कार्यालय अधीक्षक स्तर-II/आशुलिपिक (श्रेणी II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।		

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
1. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक —ग्रन्थालय (जो भी ज्येष्ठ हो)	
2. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक —सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो)	
3. उप स्वापक आयुक्त (या) भारतीय अफीम और अल्कालायड वर्क्स उपक्रम महाप्रबंधक या सहायक स्वापक आयुक्त (मुख्यालय) —सदस्य (किसी के भी अधिकारिता के मामले विचार के लिए है)	
टिप्पण :	
जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।	

28. 26

6

1	2	3	4
उप कार्यालय अधीक्षक स्तर-II	10* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	4500-125-7000 रु.
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा	<p>नीच में से :—</p> <p>(i) ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और</p> <p>(ii) ऐसे आशुलिपिक (श्रेणी-III) जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है। वह आशुलिपिक (श्रेणी-III) जिन्होंने तकनीकी विषयों में विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली हों।</p> <p>(iii) उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिकों की प्रोन्नति 6 : 1 अनुपात में होगी। उ.श्रे.लि. — उच्च श्रेणी लिपिक।</p>		

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
1. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) — अध्यक्ष	
2. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) — सदस्य	
3. उप स्वापक आयुक्त (या) भारतीय अफीम और अल्कालायड वर्क्स उपक्रम महाप्रबंधक या सहायक स्वापक आयुक्त (मुख्यालय) — सदस्य (किसी के भी अधिकारिता के मामले विचार के लिए)	
टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	

1	2	3	4
उच्च श्रेणी लिपिक	81* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.
5	6	7	
चयन सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :— (i) 75 प्रतिशत अवर श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है । (ii) 25 प्रतिशत अवर श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी (योग्यता कोटा) में पांच वर्ष सेवा की है । जिन्होंने विभागीय परीक्षा अर्हता प्राप्त कर ली है । अ. श्रे. लि.—अवर श्रेणी लिपिक ।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
1. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो)	—अध्यक्ष
2. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो)	—सदस्य
3. उप स्वापक आयुक्त (या) भारतीय ग्रफीम और अल्कालायड वर्क्स उपक्रम महाप्रबंधक या सहायक स्वापक आयुक्त (मुख्यालय)	—सदस्य
(किसको अधिकारिता है, के मामले विचार के लिए)	
टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।	

1	2	3	4
अवर श्रेणी लिपिक	99* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' श्रराजपत्रित अनुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	18—27 वर्ष	नहीं	
8	9	10	

- मैट्रिक या समतुल्य ।
- अंग्रेजी टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति हो परन्तु यह कि—
(क) टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखने वाला व्यक्ति भी इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकता है कि वह वेतनमान में वेतनवृद्धि या स्थायीत्व के लिए या उस श्रेणी में पृष्ठ के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह—
(क) अंग्रेजी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं कर लेता ;
(ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यायाग्रहित है किन्तु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करता है कि उक्त विकलांग व्यक्ति टंकण करने के योग्य नहीं है ।

85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण :—(1) अवर श्रेणी लिपिक श्रेणी की 15 प्रतिशत रिक्तियां जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी हैं निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए समूह 'घ' कर्मचारियों (नियमित स्थापना के) के लिए आरक्षित होंगी।

(क) चयन ऐसे सीमित समूह 'घ' कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी करते हैं, अर्थात् :—

मैट्रिक या समतुल्य ;

(ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) ;

(ग) श्रेणी 'घ' में कम से कम पांच वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।

(घ) इस पद्धति द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या इस वर्ष में अवर श्रेणी लिपिक के कांडर में रिक्तियां उत्पन्न हुई 15 प्रतिशत तक सीमित रहेंगी, ऐसी रिक्तियां जो भरी नहीं गई हैं वे अप्रेषित नहीं होंगी।

(2) शैक्षिक रूप से अर्हता प्राप्त ऐसे प्रयोगशाला परिचर जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्रारंभ में भर्ती किए गए हैं, समूह 'घ' के लिए आरक्षित पन्द्रह प्रतिशत रिक्तियां अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए, प्रयोगशाला परिचर के रूप में की गई सेवा की अवधि को जिसमें पूर्वतर समूह 'घ' में की गई सेवा भी है, आयु-सीमा संगणित करने के प्रयोजन के लिए न कि वास्तविक आयु से घटाने की अनुज्ञा देकर प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।

अ०श्रे०लि० :—अवर श्रेणी लिपिक

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

1. स्वायत्त आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी उपेष्ट हो) —अध्यक्ष
2. स्वायत्त आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) —सदस्य
3. उप-स्वायत्त आयुक्त (या) भारतीय अफीम और अल्का-लायड वर्क्स उपक्रम महाप्रबंधक या सहायक स्वायत्त आयुक्त (मुख्यालय) —सदस्य (किसी के भी अधिकारिता के मामले विचार के लिए है।)

13

टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रयोग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4
प्रयोगशाला परिचर	18* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	2750-70-3800-75- 4400 रु.
5	6	7	
लागू नहीं होता	18—27 वर्ष	नहीं	
8	9	10	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	
11	12		
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता		
13	14		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
1	2	3	4
आणुलिपिक (श्रेणी II)	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	4500-125-7000 रु०
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	नहीं	

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे ब्राह्मलिपिक श्रेणी III जिनके पास ब्राह्मलिपि की अंग्रेजी में 120/100 शब्द प्रति मिनट की या हिन्दी में 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति है और उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा के साथ अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट (हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट) की गति हो।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
1. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो)	—अध्यक्ष
2. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो)	—सदस्य
3. उप स्वापक आयुक्त (या) भारतीय अफीम और अल्कालाइड वर्क्स उपक्रम महाप्रबंधक या सहायक स्वापक आयुक्त (मुख्यालय)	—सदस्य
(किसी के भी अधिकारिता के मामले विचार के लिए है)	
टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर की श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	

1	2	3	4
ब्राह्मलिपिक (श्रेणी III)	8* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	4000-100-6000 रु.

5	6	7
वयस-सह-ज्येष्ठता	18-27 वर्ष	नहीं

8

9

10

- (i) मैट्रिक या समतुल्य।
 (ii) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति (हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति) परन्तु यह कि आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तब आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विचार में लिया जा सकता है।

लागू नहीं होता

सोधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : स्वापक पदाब्ज विभाग में ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 2 वर्ष सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 की स्तंभ (ii) में विहित अर्हताएं हैं।

टिप्पण : यदि कनिष्ठ व्यक्ति उस श्रेणी में अपनी सेवा की विहित अर्हक अवधि पूरी करने के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार में लिया जाता है, तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्ति भी प्रोन्नति के लिए विचार में लिए जाएंगे बावजूद इसके कि उन्होंने उस श्रेणी में उन्होंने सेवा की विहित अर्हक अवधि पूरी न की हो परन्तु उन्होंने परिवीक्षा की विहित अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अ.श्रे.लि.—अवर श्रेणी लिपिक

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होता

1. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) —अध्यक्ष
2. स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो) —सदस्य
3. उप स्वापक आयुक्त (या) भारतीय अफीम और अल्कालाइड वर्क्स उपक्रम महाप्रबंधक या
4. सहायक स्वापक आयुक्त (मुख्यालय) —सदस्य (किसी के भी अधिकारिता के मामले विचार के लिए है)
5. सहायक आयुक्त आयुक्त —सदस्य

टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4
कुत्ता संभालने वाला सह-सहायक उप-निरीक्षक	06* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचिवीय	3050-75-3950-80- 4590 रु.
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	नहीं	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा			

प्रोन्नति :

- ऐसे समूह 'घ' कर्मिकों में से, जिनको जानवरों संभालने में अभिरुचि हो और जिन्होंने पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो, प्रोन्नति द्वारा;
- चयन समुचित विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा;
- प्रोन्नति रिक्तियों की उपलब्धता और कार्य के आधार के अध्यधीन पर होगी;
- अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित शारीरिक मानको होना चाहिए और उनको भर्ती के दो वर्ष के भीतर कुत्तों को संभालने के लिए सीमा सुरक्षा बल अकादमी से उत्तीर्ण होना चाहिए।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :	लागू नहीं होता
1. स्वापक आयुक्त अपील	—अध्यक्ष
2. सहायक आयुक्त, आयकर	—सदस्य
3. सभी तीन उप-स्वापक आयुक्त	—सदस्य
टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	

1	2	3	4
दफ्तरी	06* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित अनुसूचिवीय	2610-60-3150-65-3540 रु.
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे सिपाहियों और चपरामियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :	लागू नहीं होता

1. उपपदार्थ आयुक्त/सहायक स्वापक आयुक्त—अध्यक्ष
2. दो वर्ग I अधिकारी —सदस्य
3. आयुक्त अधिकारी वर्ग I —सदस्य

टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4
हवलदार	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' 2610-60-3150-65-3540 रु. अराजपबित, अनुसचिवीय।	

5	6	7
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे सिपाहियों और चपरामियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होता

1. उप स्वापक आयुक्त/सहायक स्वापक आयुक्त —अध्यक्ष
2. दो वर्ग I अधिकारी —सदस्य
3. आयुक्त-अधिकारी वर्ग-I —सदस्य

टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हो तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4
सिपाही	522* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' भराजपत्रित, अनुसूचितविध	2610-60-3150-65- 3540 ए

5	6	7
चयन-सह-उपेष्टता	18-25 वर्ष	नहीं

8	9	10
मिडिल कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
टिप्पण: अभ्यर्थी अपेक्षित शारीरिक मानकों के अनुसूच और नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात्:—		
(क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	गढ़वाली, असमी, गोरखा और	
(1) शारीरिक स्तर (न्यूनतम)	अनुसूचित जनजाति के सदस्यों	
लम्बाई 157.5 से. मी.	की दशा में 5 से. मी. तक	
सीना—81 से. मी.	शिथिलनीय है।	
(न्यूनतम 5 से. मी. पूरा फुलाकर)		
(2) शारीरिक परीक्षा		
चलना—15 मिनट में 1600 मीटर		
साइकिल—30 मिनट में 8 किलोमीटर		
(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए	गढ़वाली, असमी, गोरखा और	
(1) शारीरिक स्तर (कम से कम)	अनुसूचित जनजाति के सदस्यों	
लम्बाई—152 से. मी.	की दशा में 2.5 से. मी.	
वजन—48 किलोग्राम	की ऊंचाई और 2 किलोग्राम	
(2) शारीरिक परीक्षा	तक शिथिलनीय है।	
चलना—20 मिनट में 1 किलो मीटर		
साइकिल चलाना—25 मिनट में 3 किलो मीटर		
(अपरलिमिटेड शारीरिक स्तर/परीक्षा-प्रोन्नति द्वारा पदों को भरने के लिए भी लागू होगी, यदि कोई हो।)		

11

75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
25 प्रतिशत भ्रामेनन द्वारा।

12

भ्रामेनन : फराश, चौकीदारों, झाड़ूकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भ्रामेनन किया जाएगा :—

- (1) फराश/चौकीदारों/झाड़ूकों ने कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
- (2) केवल उन्हीं फराश/चौकीदारों/झाड़ूकों को सिपाहियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो विहित शारीरिक मानक पूरा करते हैं जिसका आयु 45 वर्ष से कम है।
- (3) ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति की जानी है, उनको कम से कम प्रारम्भिक साक्षर हो और अंग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा को परीक्षा के माध्यम से पढ़ने की योग्यता का सबूत देना होगा।
- (4) यदि समुचित पात्र फराश/चौकीदारों/झाड़ूकों की नियुक्ति द्वारा सिपाहियों के काडर में की 25 प्रतिशत की रिक्तियों को भरा जाना संभव नहीं हो तो भरा न जाने वाला कोटा प्रति वर्ष समाप्त हो जाएगा और उनको अप्रतीत नहीं किया जाएगा ऐसी रिक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती को अपयोजित कर दी जाएगी।

13

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होता

1. उप स्वापक-आयुक्त/सहायक स्वापक-आयुक्त —अध्यक्ष
2. दो-वर्ग I-अधिकारी —सदस्य
3. आयुक्त-अधिकारी —सदस्य

टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हो सब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सह्युक्त किया जाएगा।

1

2

3

4

फराश

1*
(2000)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' 2550-55-2660-60-3200 रु.
भराजपक्षित, अनुसूचितचिबोय

5

6

7

लागू नहीं होता

18--25 वर्ष

लागू नहीं होता

8
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण

9
लागू नहीं होता

दो वर्ष

11
सीधी भर्ती द्वारा

12
लागू नहीं होता

13
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति

14
लागू नहीं होता

1. उप स्वापक आयुक्त/सहायक स्वापक आयुक्त —प्रध्यक्ष
2. दो वर्ग I अधिकारी —सदस्य
3. आयकर अधिकारी वर्ग I —सदस्य

टिप्पण : जहाँ विभागीय प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति का सदस्य कोई नहीं है तब उन्हें सदस्य सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4
चौकीदार	12* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित, अनुसूचिकीय	2550-55-2660-3200

5	6	7
लागू नहीं होता	18-25 वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1. उप स्वापक आयुक्त/सहायक स्वापक आयुक्त —प्रध्यक्ष
2. दो वर्ग I अधिकारी —सदस्य
3. आयकर अधिकारी वर्ग I —सदस्य

टिप्पण :

जहाँ उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हैं तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4
सफाईवाला	17* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसूचित	2550-55-2660-3200 रु.
5	6	7	
लागू नहीं होता	18-25 वर्ष	लागू नहीं होता	
8	9	10	
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष	
11	12		
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता		
13	14		
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता		

1. उप स्वापक आयुक्त/सहायक स्वापक आयुक्त — अध्यक्ष
2. दो वर्ग I अधिकारी — सदस्य
3. आयुक्त अधिकारी वर्ग I — सदस्य

टिप्पण :

जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हैं तब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

[मि.सं.ए-12018/12/98-प्रशासन 3(ख)]

यशपाल बशिष्ठ, अवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2001

G. S. R. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and the supersession of the Narcotics Department (Group 'C' & 'D' Posts) Recruitment Rules, 1979 as they relate to Group 'C' and 'D' posts except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' & 'D' posts in the Narcotics Department namely :—

1. Short title and commencement :—

- a) These rules may be called the Narcotics Department (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2000.
- (..) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—

These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

— Fin.[2002—3.

3. Number of posts, classification and scale of pay :—

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 3 to 5 of the scheduled annexed hereto.

4. Method of recruitment, age limit and qualification etc. :—

The method of recruitment, age-limit, qualifications, and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Special Provisions :—

Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Board of Excise and Customs may—

(a) If it considers it necessary or expedient in the public interest so to do and subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, order any post in the Narcotics Department to be filled by absorption of persons holding the same or comparable post but belonging to the cadre of another Department or office under Central Board of Excise and Customs;

(b) If it considers it necessary or expedient on compassionate grounds, order that a post in the Narcotics Department which is to be filled by direct recruitment under these rules, may be filled by absorption or deputation of a person holding the same or comparable or higher post from any other Department office under the Central Board of Excise and Customs or office of the Central Board of Excise and Customs subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case.

6. Disqualifications :—

No person :—

(a) who has entered into contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with another person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rules.

7. Power to relax :—

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons or posts.

8. Saving :—

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of pay	Whether Selection-Cum-Seniority or Selection by merit Post
1	2	3	4	5
Inspector	177 (2000)	General Central Service Gr. 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5000-175-8000. Rs. 9300-37800 Rs. 5000-150-8000	Selection-Cum-Seniority

Selection for Ministerial &
Non-Selection for Sd

As per GSR 449
21.7.20

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
6	7	8	9	10
18-27 years	No	Degree from a recognised University or equivalent qualification.	No	2 years for direct recruits
<p>Note : The candidates shall be required to possess the physical standards and to pass physical tests as specified below, namely :—</p> <p>(a) For Male candidates—</p> <p>(i) Physical standard (minimum)</p> <p>Height—157.5 cms.</p> <p>Chest—81 cms.</p> <p>(Fully expanded with minimum expansion of 5 cms.)</p> <p>(ii) Physical Test—</p> <p>Walking—1600 metres in 15 minutes.</p> <p>Cycling—8 Kms. in the 30 minutes.</p> <p>(b) For Female candidates:—</p> <p>(i) Physical standard (minimum)</p> <p>Height—152 Cms.</p> <p>Weight—48 Kgs.</p> <p>(ii) Physical Test:—</p> <p>Walking—1 Km. in 20 minutes</p> <p>Cycling—3 Kms. in 25 minutes</p> <p>Relaxable by 5 cms, in the case of Garhwalies, Assamese, Gorkhas & members of the Scheduled Tribes</p> <p>Height relaxable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. for Garhwalies, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes.</p>				

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11	12
(i) By direct recruitment 33.33%;	(1) Promotion : Upper Division Clerk Stenographers (Gr. III) with five years regular service in the grade.
(ii) By promotion from the grade of Upper Division Clerk/Stenographer Gr. III 33.33%;	(2) Sub-Inspector with three years regular service in the grade on the basis of selection-cum-seniority.
(iii) By promotion from the grade of Sub-Inspector 33.33%.	<p><i>Seniority - cum - fitness as per GSR 149 7.7.04</i></p> <p>Note :—The candidates will be required to possess physical standards and pass physical tests as specified in the note under column 8 and confirm to such age limits as may laid down by the Central Board of Exise and Customs from time to time.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission, is to be consulted in making recruitment

13

14

Grade 'C' Departmental Promotion Committee :

Not applicable

1. Narcotics Commissioner —Chairman Appellate
2. Assistant Commissioner of Income-tax —Member

3. All the three Deputy Narcotics Commissioner—Members

Note : Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, a Grade 'A' officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.

4. Chemical Examiner Grade I —Member

1	2	3	4	5
Sub-Inspector	165 (2000)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Selection-cum-Seniority
			Rs. 5200-20,200+ Rs. 2400 Grade s.m PB-I. Pay	(Not applicable) as per as R 449 7-7-04
6	7	8	9	10
18-27 years	No	Degree from a recognised University or equivalent qualification. Note : The candidates shall be required to possess the physical standards and to pass physical tests as specified below, namely :— (a) For Male candidates— (i) Physical standard (minimum) Height—157.5 cms. Chest—81 cms. (Fully expanded with minimum expansion of 5 cms.) (ii) Physical Test— Walking—1600 metres in 15 minutes. Cycling—8 Kms. in the 30 minutes. (b) For Female candidates— (i) Physical standard (minimum) Height—152 Cms. Weight—48 Kgs. (ii) Physical Test— Walking—1 Km. in 20 minutes Cycling—3 Kms. in 25 minutes	(No) ✓	2 years for direct recruits

} Relaxable by 5 cms, in the case of Garhwalies, Assamese, Gorkhas & members of the Scheduled Tribes

} Height relaxable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. for Garhwalies, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes

- (i) By Promotion from L.D.C. 25%
 (ii) By Direct Recruitment 50%
 (iii) By Promotion from amongst Sepoys 25%

Promotion :

- (i) Sepoys with 5 years service in the grade.
 (ii) Lower Division Clerk with 3 years service in the grade.

Note :

- (i) The candidates who are not more than 45 years of age will be required to possess such physical standard and pass such physical test as specified in the Note under Column 8*
 (ii) Selection from amongst Lower Division Clerk, will be made by the Departmental Promotion Committee on the basis of records of service and interview.

Note :

Candidates would be required to possess such physical standards/ tests as may be laid down by the Central Board of Excise & Customs from time to time.

*Details may be seen in Column 8.

"Group 'C' Departmental Promotion Committee :

Not applicable

1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)—Chairman
2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is Junior)—Member
3. Deputy Narcotics Commissioner (or) General Manager Government Opium & Alkaloid works undertaking.

or

Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's jurisdiction are being considered)—Member

(Where none of the above officers belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, a Group A officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee)".

1	2	3	4	5
Deputy Office Superintendent Level I	6 (2000)	General Central Service Group 'C' Non-gazetted Ministerial	Rs. 5000-150-8000 Rs. 9300-34800 Rs. 4200 Grade Pay.	Selection-cum-Seniority
6	7	8	9	10
Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

By Promotion

From amongst Deputy Office Superintendents Level-II/Stenographers (Gr. II) with five years regular service in the grade.

13

14

"Group 'C' Departmental Promotion Committee :

Not applicable

1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)—Chairman
2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is Junior)—Member
3. Deputy Narcotics Commissioner (or) General Manager Government Opium & Alkaloid works undertaking.

or

Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's jurisdiction are being considered)—Member

(Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a Group A officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee.)"

1	2	3	4	5
Deputy Office Superintendent Level-II.	10 (2000)	General Central Service Gr. 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 4500-125-7000 (Rs. 5000-150-800) Rs. 9300-34,800+ Rs. 4200 at pay in PB-2	Selection-Cum-Seniority (Not selected) as per GSR 447 dt 7-10-04
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11

12

By Promotion

From amongst :

- (i) U.D.C. (Upper Division Clerk) with 5 years regular service in the grade; and
- (ii) Stenographer (Gr. III) with 5 years regular service stenographer (Gr. III) will qualify in the Departmental examination in technical subjects.
- (iii) Promotion will be made from Upper Divisional Clerk and Stenographers in the ratio of 6:1

13

14

"Group 'C' Departmental Promotion Committee :

Not applicable

1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)—Chairman
2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is Junior)—Member
3. Deputy Narcotics Commissioner (or) General Manager Government Opium and Alkaloid works undertaking.

or

Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's jurisdiction are being considered)—Member

(Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a Group A officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee.)"

1	2	3	4	5
Upper Division Clerk	81 (2000)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 4000-100-6000 Pg. 5200-20,200 + Pg. 2400 G-pay in PB-I	Selection-cum-Seniority No selection per GSR 449 7.7.2004
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By Promotion	Promotion : (i) 75% by promotion from amongst Lower Division Clerks with 8 years service in that grade. (ii) 25% by promotion of L.D.C.'s with 5 years service in the grade (against merit quota) who qualify in the Departmental Examination. L.D.C.s—Lower Division Clerks

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)—Chairman 2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is Junior)—Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (or) General Manager Government Opium and Alkaloid works undertaking. or Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's jurisdiction are being considered)—Member (where none of the above officers belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a Group A officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee.)	Not applicable

1	2	3	4	5
Lower Division Clerk	99 (2000)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590. Pg. 5200-20,200 + Pg. 1900 Grade Pay in PB-I	Selection-cum-Seniority Not applicable as per GSR 449 (E) alt 7.7 04
6	7	8	9	10
18-27 years	No	1. Matriculation or equivalent 2. Minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting provided that (a) a person not possessing the said qualification in type-writing may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires : (a) 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting;	Not applicable	2 years

8	9	10
(b) a physical handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in type-writing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in fit condition to be able to type.	Not applicable	2 years

11	12
85% by direct recruitment, 15% by promotion.	85% by direct recruitment

Note :

- (i) 15% of the vacancies in the grade of L.D.C. to be filled up by direct recruitment will be reserved by being filled up by Gr. 'D' employees (borne on regular establishment) subject to the following conditions; namely (a) Selection would be made through a departmental examination confined to such Gr. 'D' employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, namely, Matriculation or equivalent; (b) The maximum age for this examination would be 45 years (50 years for Scheduled Caste and Scheduled Tribe). (c) At least 5 years service in Gr. 'D' would be essential. (d) The maximum number of recruits by this method would be limited to 15% of the vacancies in the cadre of L.D.C. occurring in a year unfilled vacancies would not be carried over.
- (ii) Educationally qualified Laboratory Attenders who have initially been recruited through the Employment Exchange can also compete for the post of Lower Division Clerk against 15% vacancies reserved for Group 'D' employees by allowing them to deduct the period of service rendered as Laboratory Attender including service if any, in Group 'D' earlier, from their actual age for the purpose of reckoning age limit. L.D.C.—Lower Division Clerk.

13	14
<p>"Group C Departmental Promotion Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)—Chairman 2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is junior)—Member. 3. Deputy Narcotics Commissioner or General Manager, Govt. Opium and Alkaloid works undertaking. <p style="text-align: center;">or</p> <p>Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's jurisdiction are being considered)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Assistant Commissioner of Income-tax—Member. 	Not applicable.

(Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a Group A Officer from outside the Deptt. belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee.)"

1	2	3	4	5
Laboratory Attender	18 (2000)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2750-70-3800- 75-4400.	Not applicable
6	7	8	9	10
18-27 years	No	Matriculation or equivalent from a recognised University or Board.	Not applicable	2 years
11	12			
By direct recruitment	Not applicable			
13	14			
Not applicable	Not applicable			

1	2	3	4	5
Stenographer (Gr. II)	05 (2000)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 4500-125-7000 Rs. 5200-150-8000 Rs. 9300 = 24,800 + 4200 Grade in PB-2	Selection-cum- Seniority - 25 (as per ASR 449 pay 77.64)
6	7	8	9	10
Not applicable	No	Not applicable	No	No applicable
11	12			
By promotion	From amongst stenographers Gr. III possessing a speed of 120/ 100 words per minute in English or 100/80 words per minute in Hindi shorthand and 40 words per minute in English type- writing (30 w.p.m. in Hindi typewriting) with 5 years service in the grade.			
13	14			

“Group ‘C’ Departmental Promotion Committee” :	Not applicable
1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)	—Chairman
2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (who- soever is Junior)	—Member
3. Deputy Narcotics Commissioner or General Manager, Govern- ment Opium & Alkaloid Works under taking or	—Member
4. Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of who- soever's jurisdiction are being considered)	—Member
5. Assistant Commissioner of Income-tax (Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a Group ‘A’ officer from outside the department belonging to S.C. or S.T. shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee.	—Member

1	2	3	4	5
Stenographer Grade-III	8 (2000)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 4000-100-6000 <i>Rs. 5200-20,200 + Rs. 2400 GP in P.O.-L</i>	Selection-cum-Seniority <i>not applicable as per ASR-1119 2.2.04</i>
6	7	8	9	10
18-27 years	No	(i) Matriculation or equivalent. (ii) Speed of 100 w.p.m. in English stenography and 40 in English typewriting (30 w.p.m. in Hindi type-writing) provided that where sufficient candidates with a speed of 100 w.p.m. in stenography are not available candidates with a speed of 80 w.p.m. in stenography may be considered for appointment.	Not applicable	2 years for direct recruits

11

12

By promotion failing which by direct recruitment.

"Promotion" :

By selection through a limited competitive test from amongst LDCs in the Narcotics Department with at least 2 years service in the grade and possessing the qualifications prescribed in item (ii) in Column 8.

Note : If a junior person is considered for promotion in the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.

LDCs — Lower Division Clerks.

13

14

"Group 'C' Departmental Promotion Committee" :

Not applicable

1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (who-soever is senior)
2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (who-soever is junior)
3. Deputy Narcotics Commissioner or General Manager, Govt. Opium & Alkaloid Works Undertaking

—Chairman

—Member

—Member

OR

4. Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of who-soever's jurisdiction are being considered),
5. Assistant Commissioner of Income-tax (Where none of the Group 'A' officer from outside the Department belonging to S.C./S.T. shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee)."

—Member

1	2	3	4	5
Dog-handler-cum- Assistant Sub-Inspector	06 (1998)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950- 80-4590. <i>Pay. 5200 - 20,200 + Dro. 1800 G.P. 12 P.B-1</i>	Selection-cum- Seniority NS
6	7	8	9	10
Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion	Promotion : (i) Promotion from amongst Group 'D' personnel having an aptitude for handling animals with five years regular service; (ii) The selection will be made through an appropriate departmental test; (iii) The promotion will be on functional basis and subject to availability of vacancies. (iv) The candidates will be required to possess required physical standard and pass Dog-handling from BSF Academy within two years after recruitment.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Narcotics Commissioner Appellate —Chairman 2. Assistant Commissioner of Income-tax —Member 3. All the three Deputy Narcotics Commissioner —Member Note : Where none of the above officers belongs to S.C./S.T. category, Grade 'A' officer from outside the department belonging to S.C./S.T. category shall also associate as a member of the D.P.C.	Not applicable

1	2	3	4	5
Daftary	6 (2000)	General Central Service, Grade 'D', Nor-Gazetted, Ministerial.	Rs. 2610-60-3150- 65-3540. <i>Pay. 5200 - 20,200 + Dro. 1800 Grade Pay P.B-1</i>	Selection-cum- Seniority NS
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion	Promotion : From amongst sepoys and peons with 3 years regular service in the grade.

13

14

Group 'D' Departmental Promotion Committee :

Not applicable.

1. Deputy Narcotics Commissioner/Assistant Narcotics Commissioner —Chairman
2. Two Class I Officers —Members
3. Income-Tax Officer Class I —Member

Note : Where none of the members of the above Departmental Promotion Committee belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, a Grade 'A' Officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category shall also associated as a member of the Departmental Promotion Committee.

1	2	3	4	5
Havaldar	1 (2000)	General Central Service, Grade 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2610-60-3150- 65-3540. <i>Rs. 5200-20, 200 + Rs. 1800 G.P. in PB-I</i>	Selection-cum-Seniority.
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By Promotion	Promotion : From amongst sepoys and peons with 3 years regular service in the grade.

13

14

Group 'D' Departmental Promotion Committee :—

Not applicable.

1. Deputy Narcotics Commissioner/Assistant Narcotics Commissioner —Chairman
2. Two Class I Officers —Member
3. Income-Tax Officer Class I —Member

Note : Where none of the members of the above Departmental Promotion Committee belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, a Grade 'A' Officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category shall also associated as a member of the Departmental Promotion Committee.

1	2	3	4	5
Sepoys	522(2000)	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2610-60-3150- 65-3540 <i>Rs. 5200-20, 200 + Rs. 1800 Grade pay in PB-I</i>	Selection-Cum-Seniority

6	7	8	9	10
18-25 years	Not applicable	<p>Middle Standard pass ✓</p> <p>Note: The candidates shall be required to possess the physical standards and to pass physical tests as specified below, namely:—</p> <p>(a) For male candidates—</p> <p>(i) Physical standard (minimum)</p> <p>Height—157.5 cms.</p> <p>Chest—81 cms.</p> <p>(Fully expanded with minimum expansion of 5 cms.)</p> <p>(ii) Physical Test—</p> <p>Walking—1600 metres in 15 minutes.</p> <p>Cycling—8 kms. in the 30 minutes.</p> <p>(b) For Female candidates—</p> <p>(i) Physical standard (minimum)</p> <p>Height—152 cms.</p> <p>Weight—48 kgs.</p> <p>(ii) Physical Test—</p> <p>Walking—1 km. in 20 minutes</p> <p>Cycling—3 kms. in 25 minutes</p>	Not applicable	2 years

(The above Physical Standard/Test shall also be applicable for filling up the posts by promotion, if any).

11	12
<p>By direct recruitment 75%,</p> <p>By absorption 25%</p>	<p>Absorption :—</p> <p>By absorption of Farashes, Chowkidars, Sweepers subject to the following conditions:—</p> <p>(i) The Farashes/Chowkidar/Sweepers should have put in at least five years regular service.</p> <p>(ii) Only those Farashes/Chowkidars/Sweepers should be appointed as Sepoys who fulfil the physical standard prescribed for Sepoys and are below 45 years of age.</p> <p>(iii) The person to be appointed should possess at least elementary literary and give proof through a test of ability to read either English, Hindi or regional language:</p> <p>(iv) In case it is not possible to fill up the 25% of the vacancies in the cadre of sepoy by appointment of eligible suitable Farashes/Chowkidars/Sweepers the unfilled quota will lapse every year and will not be carried forward and such vacancies will be diverted to direct recruitment through <u>Employment Exchange</u>.</p>

13	14
<p>Group 'D' Departmental Promotion Committee:—</p> <p>1. Deputy Narcotics Commissioner/Assistant Narcotics Commissioner—Chairman ✓</p> <p>2. Two Class I Officers—Members</p> <p>3. Income-Tax Officers —Member</p> <p>Note.: Where none of the members of the Departmental Promotion Committee belong to Schedule Caste/Schedule Tribe Category a Grade 'A' Officer from outside Department belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe Category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.</p>	Not applicable

1	2	3	4	5
Farash	1 (2000)	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60 3200 <i>Rs. 5200 - 20,200 + Rs. 1800 A pay is</i>	Not applicable
6	7	8	9	10
18-25 years	Not applicable	Primary School Standard Pass	Not applicable	2 years
11	12	13	14	
By direct recruitment	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee: - 1. Deputy Narcotics Commissioner/Assistant Narcotics Commissioner —Chairman 2. Two Class — I Officers —Members 3. Income-Tax Officer Class-I Officer —Member Note : Where none of the members of Departmental Promotion Committee belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe Category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable	

1	2	3	4	5
Chowkidar	12 (2000)	General Central Service Grade 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2660-60-3200 <i>Rs. 5200-20,200+</i> <i>Rs. 1800 A. pay is</i> <i>P B - I</i>	Not applicable
6	7	8	9	10
18-25 years	Not applicable	Primary School Standard Pass	Not applicable	2 years
11	12	13	14	
By Direct Recruitment	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee:— 1. Deputy Narcotics Commissioner/Assistant Narcotics Commissioner —Chairman 2. Two Class I Officers —Members 3. Income-Tax Officer Class-I —Member Note : Where none of the members of the Departmental Promotion Committee belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe Category, a Grade 'A' officer from outside the department belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable	

1	2	3	4	5
Safaiwala	17 (2000)	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable

6	7	8	9	10
18-25 years	Not applicable	Primary School Standard Pass	Not applicable	2 years

11	12	13	14
By Direct Recruitment	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee: 1. Deputy Narcotics Commissioner/Assistant Narcotics Commissioner —Chairman 2. Two Class I Officers —Members 3. Income-Tax Officer Class-I —Member Note : Where none of the members of the Departmental Promotion Committee belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe category, a Grade 'A' officer from outside the department belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe Category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

[F. No. A-12018/12/98-AD.II.B]

Y. P. VASHISHAT, Under Secy.